BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 03/2025

(I.A NO. 356/2025)

IN THE MATTER OF:

BHISHM TYAGI ……APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

…….RESPONDENT(S)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 12.09.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE SAID UPPCB LETTER DATED 17.07.2025 IS ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-1.**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-6375115224

Date: 12.11.2025

Place: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 03/2025

(I.A NO. 356/2025)

IN THE MATTER OF:

BHISHM TYAGI **.....APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

.....RESPONDENT(S)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 12.09.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Amit Kumar Singh aged about 42 years S/o Mahaveer Singh, presently posted as D.C. Industry, Bijnor, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

NOTARY VIPIN KUMAR TYAGI Advocate BIJNOR (U.P.) R.No. 5238512 GOVT. OF INDIA

1. That I, the deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.
2. That the Deponent has been duly authorised by the Director, Industries Department to submit this response on his behalf.

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

3. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

4. That the present matter relates to the operation of industry by Project Proponent M/s. Dev Industry in Gata No. 49 in Village Jamaluddinpur, Tehsil Chandpur, District Bijnor, Uttar Pradesh, in violation of environment norms. That the said industry is illegally setup on the border of Village Baseda Taga and Village Budhpur, District Bijnor, Uttar Pradesh in agricultural land comprised in Gata No. 49 without seeking permission for change of land use and are making tarcoal and other products by burning rubber. The smoke and ash generated by the industry is adversely affecting the surrounding agricultural crops and poses serious health hazards to the villagers.

NOTARY VIPIN KUMAR TYAGI Advocate BIJNOR (U.P.) R.No. 52385/25 GOVT. OF INDIA

II. INFORMATION FROM UPPCB

5. That Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 17.07.2025 has informed as under:

i. That the Project Proponent, is operating at the aforesaid location using **waste tyres (6 metric tons/day)** as raw material for producing **furnace oil (2.5 metric tons/day), carbon black (2.5 metric tons/day),** and **steel wire (200 kilograms/day).** The said

उपयुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

unit falls under the purview of Section 39D of the *Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.*

ii. That in compliance with the order dated **20.03.2025** passed by this Hon'ble Tribunal, the UPPCB issued a Show Cause Notice to the unit vide letter dated **06.05.2025.**

iii. That in response to the said Show Cause Notice dated 06.05.2025, the Project Proponent, **M/s Dev Industries,** submitted a written reply dated 19.05.2025. That in the said reply the Project Proponent has provided a compliance status with respect to the aforementioned show cause notice in a tabulated chart as produced below:

NOTARY
VIPIN KUMAR TYAGI
Advocate
BIJNOR (U.P.)
R.No. 52385/25
GOVT. OF INDIA

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

संबंध में टिप्पणी निम्नवत है–

क्र0सं0	प्रत्युत्तर का बिन्दु संख्या–01	टिप्पणी	अभियुक्ति
1.	At the very outset the Notice puts forth that the present SCN is an afterthought and an exercise undertaken without due diligence and consideration of the status of the issue at hand.	बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.05. 2025 में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या–03/2025 भीष्म त्यागी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 मे जारी निर्देशों के अनुपालन मे गठित संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 17.03.2025 में पाये गये तथ्यों को समावेशित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 में पाया गया था कि उक्त इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है तथा इकाई मे स्थापित रिएक्टर की चिमनी मात्र 21 मीटर पायी गयी जबकि राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति वायु में चिमनी की ऊंचाई भू–तल से 30 मीटर ऊंची किया जाना निर्देशित है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–01 को खण्डित किया जाता है।
2.	In fact, for reasons best known to the UPPCB, no reference has been made to the fact that fact that M/s Dev Industries has been operating in a wholly legal and authorized manner and a Consolidated Consent to Operate and Authorization	राज्य बोर्ड द्वारा इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर तहसील चांदपुर, जिला–बिजनौर के पक्ष मे दिनांक 31.07.2028 तक वैध सशर्त सहमति जल एवं वायु निर्गत की गयी है। उक्त निर्गत सशर्त सहमति जल एवं वायु में यह शर्त अधिरोपित की गयी है कि उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु स्थापित चिमनी की मानकों के अनुरूप रखी जाएगी	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–02 को खण्डित किया जाता है।

NOTARY
VIPIN KUMAR TYAGI
Advocate
BIJNOR (U.P.)
R.No. 52385/25
GOVT. OF INDIA

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

	(hereinafter referred to as 'CCA) dated 25.07.2023 was duly issued by the UPPCB in accordance with Section 25 of the Water (Prevention & Control of pollution) Act, 1974 (hereinafter the Water Act') as also under Section 21 of the Air (Prevention & Control of pollution) Act, 1981 (hereinafter the Air Act')	तथा इकाई द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 25.07.2023 के अनुसार बैच प्रोसेस को सतत प्रोसेस मे परिवर्तित किया जाएगा। संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 मे पाया गया है कि इकाई मे स्थापित व्यवस्था मे एडवांस बैच आटोमेटेड प्रोसेस अपनाया नही गया है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी एस0ओ0पी0 का पूर्ण अनुपालन नही किया गया है। इकाई मे पी0एल0सी0 कण्ट्रोल अरेंजमेंट, पायरोगैस हेतु बाइपास अरेंजमेंट, पायरोगैस की फ्लेरिंग हेतु व्यवस्था नही पायी गयी। उक्त संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 मे पाया गया कि इकाई द्वारा प्रोसेसिंग से जनित कार्बन ब्लैक को समीप की कृषि भूमि पर निस्तारित किया जा रहा है। इकाई मे स्थापित रिएक्टर से सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 21 मीटर ऊंची पायी गयी जबकि बोर्ड द्वारा जारी सहमति एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई भूतल से 30 मीटर निर्देशित है। क्षेत्रीय कार्यालय बिजनौर द्वारा पूर्व मे निरीक्षण दिनांक 21.07.2023 मे भी पाया गया था कि इकाई मे स्थापित दो फ़र्नेस से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी की ऊंचाई भूतल से 21 मीटर है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा मानकों के अनुरूप चिमनी की ऊंचाई नही रखी गयी थी।	
3.	Notably, the said CCA grants authorization to the Notice from 01.08.2023 to 31.07.2028 and is valid for manufacturing of following products; Furnace Oil (2.5MT/day) Carbon Black (2.5 MT/day) Steel Wire (200 kg/day)	बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध मे टिप्पणी उक्तानुसार है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–03 को खण्डित किया जाता है।
4.	It must thus be noted that the Notice herein has been operating in complete and absolute compliance with the said CCA as also the law governing the same.	संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 मे पाये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति वायु मे अधिरोपित शर्तो एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 का उल्लंघन कर इकाई का संचालन किया गया।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–04 को खण्डित किया जाता है।
5.	Additionally, the "Guidelines for Environmental Compensation (EC) under Waste Tyre EPR Regime" were notified from 03.09.2024 however the manner of calculation to the EC by the UPPCB is misplaced and erroneous. The guidelines provide for a registration fee based calculation' of compensation under EC	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0 583 (ई0) दिनांक 21.07.2022 द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्ध और सीमा पार संचलन) संशोधन, नियम–2022 अधिसूचित किये गये है जो कि प्रकाशन की तिथि से लागू है। उक्त नियम की अनुसूची 9 में अपशिष्ट टायर के लिए ई0पी0आर0 प्राविधानित किये गये है। जिसके अनुसार वेस्ट टायर के रिसायकलर द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये ऑनलाइन पोर्टल पर ई0पी0आर0 हेतु पंजीकरण कराये बिना इकाई का संचालन नही किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टायर पायरोलिसिस प्लाण्ट के संचालन हेतु 16.01.2024 द्वारा स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है। इसी क्रम मे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 21.07.2022 के प्राविधानों का	उक्त को

NOTARY
VIPIN KUMAR TYAGI
Advocate
BIJNOR (U.P.)
R.No. 52385/25
GOVT. OF INDIA

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

	Regime- 2 and qua the same the registration fee has been computed as an average of Rs. 12500/- for ' Recyclers and Retreaders.	उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गाइडलाइन तैयार की गयी है। जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर नोटिस के रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर तहसील–धांदपुर जिला–बिजनौर द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार कार्यवाही नही की गयी एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही किया गया है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक 03.09.2024 के अनुसार ई0सी0 रिजीम–2 (बी0) के अनुसार इकाई पर पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। B. For informal/illegal Sale /Storag/Transportation /Retreading/Recycling of Waste Tyre by any non-registered entity/person/shop/entity, EC Regine2 will be applicable and the EC will be as below: EC= Rs. 12,000.0+Quantity of Waste Tyre Seized x RS. 8.40 per Kg of seized Waste Tyre.	दृष्टिगत रखते हुए एवं यह संज्ञान मे लेते हुए कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है जिस कारण पर्यावरणी क्षतिपूर्ति हेतु ईसी रिजीम 2 बी के अनुसार गणना की गयी है।
6.	Additionally, vide Clause 6.2 (B) of the guidelines, the ' quantity of waste tyre seized ' assumed crucial importance for devoid of the same no pro-rata calculation of EC can be made under Regime-2	क्षेत्रीय अधिकारी बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 द्वारा प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर तहसील–धांदपुर जिला–बिजनौर, द्वारा माह जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2025 तक माहवार खपत किये गये वेस्ट टायर की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना के अनुसार माह फरवरी 2025 को छोड़कर अन्य समस्त माह मे इकाई द्वारा वेस्ट टायर की खपत की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि इकाई द्वारा ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है अतः इकाई द्वारा उपभोग किये गये वेस्ट टायर को Quantity of Waste Tyre Seized की श्रेणी में रखते हुए पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
7.	However in the matter at hand, and as the Joint Committee Report dated 17.03.2025 makes evident, the Tyre Pyrolysis plant (TPO) as operated by M/s Dev Industries has been non-operational. and thus there is no basis for calculation of EC at Rs. 32,832 per day from September 2024 to April 2025	संयुक्त समिति के निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 के दौरान इकाई संचालित नही पायी गयी परन्तु इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 का अनुपालन नही किया गया, इकाई द्वारा राख का निस्तारण समीप के खेतों मे किया जाता पाया गया, एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा प्लाण्ट का संचालन नियम के विरूद्ध किया गया है तथा उक्त उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में की गयी गणना के अनुसार ही पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन को संज्ञान में रखते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना माह सितम्बर 2024 से माह जनवरी 2025 तक किये जाने पर विचार किया जा सकता है।	
8.	Moreover, the above- outlined guidelines as also the EC Regime- 2 nowhere grant the power to apportion the EC in an onerous and unreasonable manner	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणी क्षतिपूर्ति हेतु जारी उक्त गाइडलाइन 03.09.2024 के द्वारा पंजीकरण किये बिना संचालित रिसायकलर एवं एस0ओ0पी0 का उल्लंघन कर संचालित रिसायकलर	

NOTARY VIPIN KUMAR TYAGI Advocate BIJNOR (U.P.) GOVT. OF INDIA

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

	as her been done herein by the UPPCB. The EC Regime-2 is clear in its mandates that if at all there is an EPR violation the same shall be calculated as a sum of the (1) Registration fee default, (2) Quantity of seized tyre, and (3) Multiplier of Rs 8.40 per kg of such seizure.	पर ई०सी० रिजीम–2 के आधार पर कार्यवाही किया जाना निर्देशित है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
9.	As has already been outlined above, there is no seizure of any illegal tyre made by the UPPCB and its calculation rests on an assumptive basis entirely.	क्षेत्रीय अधिकारी बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 द्वारा प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर तहसील–चांदपुर जिला–बिजनौर, द्वारा माह जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2025 तक माहवार खपत किये गये वेस्ट टायर की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना के अनुसार माह फरवरी 2025 को छोड़कर अन्य समस्त माह मे इकाई द्वारा वेस्ट टायर की खपत की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि इकाई द्वारा ई०पी०आर० पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है अतः इकाई द्वारा उपभोग किये गये वेस्ट टायर को Quantity of Waste Tyre Seized की श्रेणी में रखते हुए पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
10.	Having regards to the response as above outlined, the answering Noticee puts forth that being the operator of the recycling palnt, in compliance of the joint committee report was in the process of outlining its responses/ replies to the remediel actions of outlined vide said report and due to the calamitous events of the intervening night of 18/19.04.2025, the entire recycling plant was devastated and substantially extensive damage was caused. Manifestly thus, no manufacturing/ industrial activity has been undertaken. That the answering Noticee had earlier followed the guidelines issued by the UPPCB for the installation of the ETP (effluent treatment plant) and the same was installed at the earliest and information for the same was given to the department. Furthermore, the chimney stack installed at the TPO is having height of 30 mtrs and the same has been erroneously mentioned in the joint committee report as 21 mtrs because the incorrect records maintained by the UPPCB. The Noticee herein has never neglected to adhere to the guidelines issued qua its operation. That, the SOP issued in September, 2024 was not in the	इकाई द्वारा पत्र प्रेषित किये गये है कि दिनांक 18/19.04.2025 मे आये तूफान के कारण रिसाइकिलिंग प्लाण्ट टूट गया जिसको प्रतिनिधि द्वारा रिनोयेट कराया गया है इकाई द्वारा नई चिमनी का निर्माण भी उक्त अवधि मे किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.05.2025 में किये गये निरीक्षण रिपोर्ट मे वर्णित है कि उक्त निरीक्षण के दौरान इकाई मे पूर्व से स्थापित चिमनी के स्थान पर नई चिमनी की स्थापना कर ली गयी है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्य की संयुक्त रिपोर्ट मे चिमनी की ऊंचाई 21 मीटर प्रदर्शित किया जाना गलत है पर विचार नही किया जा सकता। इकाई द्वारा प्रेषित यह तथ्य कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस०ओ०पी० (सितम्बर 2024) के सम्बन्ध मे इकाई को पता नही था पर भी विचार किया जाना सम्भव नही है क्योंकि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता मे गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2025 प्राप्त होने के उपरांत भी अद्यतन तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई०पी०आर० पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में सूचित नही किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा जानबूझकर भारत सरकार द्वारा जारी प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–10 को खण्डित किया जाता है।

NOTARY
VIPIN KUMAR TYAGI
Advocate
BIJNOR (U.P.)
R.No. 32385/25
GOVT. OF INDIA

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

	as her been done herein by the UPPCB. The EC Regime-2 is clear in its mandates that if at all there is an EPR violation the same shall be calculated as a sum of the (1) Registration fee default, (2) Quantity of seized tyre, and (3) Multiplier of Rs 8.40 per kg of such seizure.	पर ई0सी0 रिजीम-2 के आधार पर कार्यवाही किया जाना निर्देशित है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
9.	As has already been outlined above, there is no seizure of any illegal tyre made by the UPPCB and its calculation rests on an assumptive basis entirely.	क्षेत्रीय अधिकारी बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 द्वारा प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीनपुर तहसील-चांदपुर जिला-बिजनौर, द्वारा माह जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2025 तक माहवार खपत किये गये वेस्ट टायर की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना के अनुसार माह फरवरी 2025 को छोड़कर अन्य समस्त माह मे इकाई द्वारा वेस्ट टायर की खपत की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि इकाई द्वारा ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है अतः इकाई द्वारा उपभोग किये गये वेस्ट टायर को Quantity of Waste Tyre Seized की श्रेणी में रखते हुए पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
10.	Having regards to the response as above outlined, the answering Noticee puts-forth that being the operator of the recycling palnt, in compliance of the joint committee report was in the process of outlining its responses/ replies to the remediel actions of outlined vide said report and due to the calamitous events of the intervening night of 18/19.04.2025, the entire recycling plant was devastated and substantially extensive damage was caused. Manifestly thus, no manufacturing/ industrial activity has been undertaken. That the answering Noticee had earlier followed the guidelines issued by the UPPCB for the installation of the ETP (effluent treatment plant) and the same was installed at the earliest and information for the same was given to the department . Furthermore, the chimney stack installed at the TPO is having height of 30 mtrs and the same has been erroneously mentioned in the joint committee report as 21 mtrs because the incorrect records maintained by the UPPCB. The Noticee herein has never neglected to adhere to the guidelines issued qua its operation. That, the SOP issued in September, 2024 was not in the	इकाई द्वारा पत्र प्रेषित किये गये है कि दिनांक 18/19.04.2025 मे आये तूफान के कारण रिसाइकिलिंग प्लाण्ट टूट गया जिसको प्रतिनिधि द्वारा रिनोवेट कराया गया है इकाई द्वारा नई चिमनी का निर्माण भी उक्त अवधि मे किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.05.2025 में किये गये निरीक्षण रिपोर्ट मे वर्णित है कि उक्त निरीक्षण के दौरान इकाई मे पूर्व से स्थापित चिमनी के स्थान पर नई चिमनी की स्थापना कर ली गयी है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्य की संयुक्त रिपोर्ट मे चिमनी की ऊंचाई 21 मीटर प्रदर्शित किया जाना गलत है पर विचार नही किया जा सकता। इकाई द्वारा प्रेषित यह तथ्य कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 (सितम्बर 2024) के सम्बन्ध मे इकाई को पता नही था पर भी विचार किया जाना सम्भव नही है क्योंकि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता मे गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2025 प्राप्त होने के उपरांत भी अद्यतन तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में सूचित नही किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा जानबूझकर भारत सरकार द्वारा जारी प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या-10 को खण्डित किया जाता है।

NOTARY VIPIN KUMAR TYAGI Advocate BIJNOR (U.P.) R.No. 52385/05 GOVT. OF INDIA

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

	knowledge of the answering respondent and therefore necessary changes could not be made according the new SOP. The answering respondent came to know about the new SOP only after reading the joint committee report submitted in the NGT, Delhi Therefore keeping in consideration the above- outlined submissions of the Noticee herein , the matter at hand is sub-judice and the Noticee has fully complied with all the directions as issued to it by the Hon'ble National Green Tribunal. In fact, a time period Of 6-8 weeks has been granted to it to file its compliance affidavit and therefore no adverse and coercive action ought to be taken against it devoid of directions from the Hon'ble NGT.		

iv. That the reply dated 19.05.2025 submitted by the Project Proponent in response to the Show Cause Notice dated 06.05.2025 issued by the UPPCB was found to be unsatisfactory. That the updated inspection of the unit **M/s Dev Industries**, was conducted on **30.05.2025** by the authorized officers of the Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bijnor. It is submitted that according to the inspection report, the unit was found **closed at the time of inspection**.

NOTARY VIPIN KUMAR TYAGI Advocate BIJNOR (U.P.) R.No. 52385/25 GOVT. OF INDIA

vi. It is submitted that, in addition to the above, considering the deficiencies observed during the Joint Committee inspection conducted on 07.03.2025 and the inspection conducted by the officers of the Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र

Board, Bijnor on 30.05.2025, an EC of Rs. 50,23,296/- (Rupees Fifty Lakh Twenty-Three Thousand Two Hundred Ninety-Six only) was imposed upon the unit at the rate of Rs. 32,832/- per day for the period from September 2024 to January 2025 vide letter dt. 17.07.2025.

vii. **The unit had not taken action in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP)** issued by the **Central Pollution Control Board (CPCB), and has also not obtained registration on the CPCB's EPR (Extended Producer Responsibility)** portal as required under the provisions of the Notification dated 21.07.2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

NOTARY GOVT. OF INDIA VIPIN KUMAR TYAGI Advocate BIJNOR (U.P.) R.No. 52385/25

A copy of the said UPPCB letter dated 17.07.2025 is annexed herewith as ANNEXURE-1.

6. That it is pertinent to submit that the Consolidated CTO (Water and Air) dated 25.07.2023 granted in favour of M/s Dev Industries **was hereby revoked by UPPCB.** That further, the operations of **M/s Dev Industries,** Village Jamaluddin, Tehsil Chandpur, District Bijnor were **ordered to be closed with immediate effect.**

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

7. That the Deponent, being duty-bound under law, is committed to ensuring strict compliance with all directions of this Hon'ble Tribunal and undertakes to adhere to any further orders or instructions issued hereafter, without demur or delay.

NOTARY
VIPIN KUMAR TYAGI
Advocate
BIJNOR (U.P.)
R.No.
GOVT. OF

8. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal and it is prayed that the same be taken on record.

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at …12……..on this …11….. day of November, 2025 that the contents of the above paragraphs 1 to 8 are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

NOTARY
VIPIN KUMAR TYAGI
Advocate
BIJNOR (U.P.)
R.No. 52385/25
GOVT. OF INDIA

Sworn before me on this 12th … Nov.20 25
by……Amit Kr. Singh……
Who has been Identified by……Vasim Ahmad Adv
Who is personally known to me……
Whose signature(s) is/are here to appended.

12/11/25

Vipin Kumar Tyagi
Advocate/Notary
BIJNOR

DEPONENT

उपायुक्त उद्योग
जिला उद्योग प्रोत्साहन
एवं उद्यमिता विकास केन्द्र
बिजनौर

ANNEXURE-1

कार्यालय उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, बिजनौर।

(दूरभाष संख्या 01342–263812, ईमेल–gmdicbijnor2@gmail.com)

पत्रांक: 825 /जिउएवंउप्रोके/बिज0/2025–26, दिनांक: 22.07.2025

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
एमएसएमई अनुभाग–17,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0प्र0 कानपुर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ORIGINAL APPLICATION NO-3/2025 (I.A. NO. 356/2025) BHISHM TYAGI STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 186/एम0एस0एम0ई0–17/18/2025–26, कानपुर दिनांक 11 जुलाई 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ORIGINAL APPLICATION NO-3/2025(I.A. NO. 356/2025) BHISHM TYAGI STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने पत्र संदर्भ सं0 एच.30344/सी–7/विविध–716/2025, दिनांक 17.07.2025 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–03/2025 BHISHM TYAGI STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.में पारित आदेशों के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में पत्र जारी किया गया है जिसकी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त उद्योग
बिजनौर।

72/2025-CIR7-UPPCB

I/211744/2025

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं0– H-30344/सी–7/विविध–716 /2025

दिनांक:– 17/07/2025
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर,
जिला–बिजनौर।
मो0–0591 2485594

विषय –माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदशों के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने के संबंध में।

यह कि मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर द्वारा कच्चे माल के रूप में वेस्ट टायर–06 मीट्रिक टन/दिल का प्रयोग कर फर्नेस ऑयल–2.5 मीट्रिक टन/दिन कार्बन ब्लैक–2.5 मीट्रिक टन/दिन, स्टील वायर–200 किलाग्राम/दिन का उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 39 डी के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के अनुपालन में इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के विरूद्ध बोर्ड के पत्रांक एच–27891/सी–7/विविध–716/25 दिनांक 06.05.2025 के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग प्रोपराइटर श्री सचिन त्यागी को दिनांक 15.05.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा By Hand प्राप्त करायी गयी।

यह कि इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.05.2025 के क्रम मे इकाई द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रत्यावेदन मे वर्णित बिन्दुओं के संबंध में टिप्पणी निम्नवत् है:–

क्र0सं0	प्रतिउत्तर का बिन्दु संख्या–01	टिप्पणी	अभियुक्ति
1.	At the very outset the Notice puts forth that the present SCN is an afterthought and an exercise undertaken without due diligence and consideration of the status of the issue at hand.	बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.05.2025 में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या–03/2025 भीष्म त्यागी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 मे जारी निर्देशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 17.03.2025 में पाये गये तथ्यों को समावेशित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 में पाया गया था कि उक्त इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है तथा इकाई मे स्थापित रिएक्टर की चिमनी मात्र 21 मीटर पायी गयी जबकि राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति वायु में चिमनी की ऊंचाई भू–तल से 30 मीटर ऊंची किया जाना निर्देशित है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–01 को खण्डित किया जाता है।
2.	In fact, for reasons best known to the UPPCB, no reference has been made to the fact that fact that M/s Dev Industries has been operating in a wholly legal and authorized manner and a Consolidated Consent to Operate and Authorization	राज्य बोर्ड द्वारा इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर तहसील चांदपुर, जिला–बिजनौर के पक्ष मे दिनांक 31.07.2028 तक वैध सशर्त सहमति जल एवं वायु निर्गत की गयी है। उक्त निर्गत सशर्त सहमति जल एवं वायु में यह शर्त अधिरोपित की गयी है कि उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु स्थापित चिमनी की मानकों के अनुरूप रखी जाएगी	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–02 को खण्डित किया जाता है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

	(hereinafter referred to as ' CCA) dated 25.07.2023 was duly issued by the UPPCB in accordance with Section 25 of the Water (Prevention & Control of pollution) Act, 1974 (hereinafter the Water Act') as also under Section 21 of the Air (Prevention & Control of pollution) Act, 1981 (hereinafter the Air Act')	तथा इकाई द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 25.07.2023 के अनुसार बैच प्रोसेस को सतत प्रोसेस मे परिवर्तित किया जाएगा। संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 में पाया गया है कि इकाई में स्थापित व्यवस्था में एडवांस बैच आटोमेटेड प्रोसेस अपनाया नही गया है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी एस0ओ0पी0 का पूर्ण अनुपालन नही किया गया है। इकाई में पी0एल0सी0 कण्ट्रोल अरेंजमेंट, पायरोगैस हेतु बाइपास अरेंजमेंट, पायरोगैस की फ्लेरिंग हेतु व्यवस्था नही पायी गयी। उक्त संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 में पाया गया कि इकाई द्वारा प्रोसेसिंग से जनित कार्बन ब्लैक को समीप की कृषि भूमि पर निस्तारित किया जा रहा है। इकाई में स्थापित रिएक्टर से सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 21 मीटर ऊंची पायी गयी जबकि बोर्ड द्वारा जारी सहमति एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई भूतल से 30 मीटर निर्देशित है। क्षेत्रीय कार्यालय बिजनौर द्वारा पूर्व मे निरीक्षण दिनांक 21.07.2023 में भी पाया गया था कि इकाई मे स्थापित दो फर्नेस से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी की ऊंचाई भूतल से 21 मीटर है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा मानकों के अनुरूप चिमनी की ऊंचाई नही रखी गयी थी।	
3.	Notably, the said CCA grants authorization to the Notice from 01.08.2023 to 31.07.2028 and is valid for manufacturing of following products; Furnace Oil (2.5MT/day) Carbon Black (2.5 MT/day) Steel Wire (200 kg/day)	बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध मे टिप्पणी उक्तानुसार है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–03 को खण्डित किया जाता है।
4.	It must thus be noted that the Notice herein has been operating in complete and absolute compliance with the said CCA as also the law governing the same.	संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 मे पाये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति वायु मे अधिरोपित शर्तों एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 का उल्लंघन कर इकाई का संचालन किया गया।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–04 को खण्डित किया जाता है।
5.	Additionally, the "Guidelines for Environmental Compensation (EC) under Waste Tyre EPR Regime" were notified from 03.09.2024 however the manner of calculation to the EC by the UPPCB is misplaced and erroneous. The guidelines provide for a registration fee based calculation' of compensation under EC	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0 593 (ई0) दिनांक 21.07.2022 द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्ध और सीमा पार संचलन) संशोधन, नियम–2022 अधिसूचित किये गये है जो कि प्रकाशन की तिथि से लागू है। उक्त नियम की अनुसूची 9 में अपशिष्ट टायर के लिए ई0पी0आर0 प्राविधानित किये गये है। जिसके अनुसार वेस्ट टायर के रिसायकलर द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये ऑनलाइन पोर्टल पर ई0पी0आर0 हेतु पंजीकरण कराये बिना इकाई का संचालन नही किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टायर पायरोलिसिस प्लाण्ट के संचालन हेतु 16.01.2024 द्वारा स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है। इसी क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 21.07.2022 के प्राविधानों का	उक्त को

	Regime- 2 and qua the same the registration fee has been computed as an average of Rs. 12500/- for ' Recyclers and Retreaders.	उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गाइडलाइन तैयार की गयी है। जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर नोटिस के रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर तहसील–चांदपुर जिला–बिजनौर द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार कार्यवाही नही की गयी एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही किया गया है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक 03.09.2024 के अनुसार ई0सी0 रिजीम–2 (बी0) के अनुसार इकाई पर पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। B. For informal/illegal Sale /Storag/Transportation /Retreading/Recycling of Waste Tyre by any non-registered entity/person/shop/entity, EC Regine2 will be applicable and the EC will be as below: EC= Rs. 12,000.0+Quantity of Waste Tyre Seized x RS. 8.40 per Kg of seized Waste Tyre.	दृष्टिगत रखते हुए एवं यह संज्ञान मे लेते हुए कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है जिस कारण पर्यावरणी क्षतिपूर्ति हेतु ईसी रिजीम 2 बी के अनुसार गणना की गयी है।
6.	Additionally, vide Clause 6.2 (B) of the guidelines, the ' quantity of waste tyre seized ' assumed crucial importance for devoid of the same no pro-rata calculation of EC can be made under Regime-2	क्षेत्रीय अधिकारी बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 द्वारा प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर तहसील–चांदपुर जिला–बिजनौर, द्वारा माह जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2025 तक माहवार खपत किये गये वेस्ट टायर की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना के अनुसार माह फरवरी 2025 को छोड़कर अन्य समस्त माह मे इकाई द्वारा वेस्ट टायर की खपत की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि इकाई द्वारा ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है अतः इकाई द्वारा उपभोग किये गये वेस्ट टायर को Quantity of Waste Tyre Seized की श्रेणी में रखते हुए पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
7.	However in the matter at hand, and as the Joint Committee Report dated 17.03.2025 makes evident, the Tyre Pyrolysis plant (TPO) as operated by M/s Dev Industries has been non-operational and thus there is no basis for calculation of EC at Rs. 32,832 per day from September 2024 to April 2025	संयुक्त समिति के निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 के दौरान इकाई संचालित नही पायी गयी परन्तु इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 का अनुपालन नही किया गया, इकाई द्वारा राख का निस्तारण समीप के खेतों मे किया जाता पाया गया, एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा प्लाण्ट का संचालन नियम के विरूद्ध किया गया है तथा उक्त उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में की गयी गणना के अनुसार ही पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन को संज्ञान में रखते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना माह सितम्बर 2024 से माह जनवरी 2025 तक किये जाने पर विचार किया जा सकता है।	
8.	Moreover, the above- outlined guidelines as also the EC Regime- 2 nowhere grant the power to apportion the EC in an onerous and unreasonable manner	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणी क्षतिपूर्ति हेतु जारी उक्त गाइडलाइन 03.09.2024 के द्वारा पंजीकरण किये बिना संचालित रिसायकलर एवं एस0ओ0पी0 का उल्लंघन कर संचालित रिसायकलर	

मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुदीनपुर, तहसील-चांदपुर, बिजनौर।

PCB-CRCLOMISC/2872/2025-CIR7-UPPCB

I/211744/2025

	as her been done herein by the UPPCB. The EC Regime-2 is clear in its mandates that if at all there is an EPR violation the same shall be calculated as a sum of the (1) Registration fee default, (2) Quantity of seized tyre, and (3) Multiplier of Rs 8.40 per kg of such seizure.	पर ई0सी0 रिजीम–2 के आधार पर कार्यवाही किया जाना निर्देशित है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
9.	As has already been outlined above, there is no seizure of any illegal tyre made by the UPPCB and its calculation rests on an assumptive basis entirely.	क्षेत्रीय अधिकारी बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 द्वारा प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुदीनपुर तहसील–चांदपुर जिला–बिजनौर, द्वारा माह जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2025 तक माहवार खपत किये गये वेस्ट टायर की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना के अनुसार माह फरवरी 2025 को छोड़कर अन्य समस्त माह मे इकाई द्वारा वेस्ट टायर की खपत की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि इकाई द्वारा ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है अतः इकाई द्वारा उपभोग किये गये वेस्ट टायर को Quantity of Waste Tyre Seized की श्रेणी में रखते हुए पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
10.	Having regards to the response as above outlined, the answering Noticee puts forth that being the operator of the recycling paint, in compliance of the joint committee report was in the process of outlining its responses/ replies to the remediel actions of outlined vide said report and due to the calamitous events of the intervening night of 18/19.04.2025, the entire recycling plant was devastated and substantially extensive damage was caused. Manifestly thus, no manufacturing/ industrial activity has been undertaken. That the answering Noticee had earlier followed the guidelines issued by the UPPCB for the installation of the ETP (effluent treatment plant) and the same was installed at the earliest and information for the same was given to the department. Furthermore, the chimney stack installed at the TPO is having height of 30 mtrs and the same has been erroneously mentioned in the joint committee report as 21 mtrs because the incorrect records maintained by the UPPCB. The Noticee herein has never neglected to adhere to the guidelines issued qua its operation. That, the SOP issued in September, 2024 was not in the	इकाई द्वारा पत्र प्रेषित किये गये है कि दिनांक 18/19.04.2025 मे आये तूफान के कारण रिसाइकिलिंग प्लाण्ट टूट गया जिसको प्रतिनिधि द्वारा रिनोवेट कराया गया है इकाई द्वारा नई चिमनी का निर्माण भी उक्त अवधि मे किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.05.2025 में किये गये निरीक्षण रिपोर्ट मे वर्णित है कि उक्त निरीक्षण के दौरान इकाई मे पूर्व से स्थापित चिमनी के स्थान पर नई चिमनी की स्थापना कर ली गयी है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यायेदन में उल्लिखित तथ्य की संयुक्त रिपोर्ट मे चिमनी की ऊंचाई 21 मीटर प्रदर्शित किया जाना गलत है पर विचार नही किया जा सकता। इकाई द्वारा प्रेषित यह तथ्य कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 (सितम्बर 2024) के सम्बन्ध मे इकाई को पता नही था पर भी विचार किया जाना सम्भव नही है क्योंकि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता मे गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2025 प्राप्त होने के उपरांत भी अद्यतन तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में सूचित नही किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा जानबूझकर भारत सरकार द्वारा जारी प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–10 को खण्डित किया जाता है।

	knowledge of the answering respondent and therefore necessary changes could not be made according the new SOP. The answering respondent came to know about the new SOP only after reading the joint committee report submitted in the NGT, Delhi Therefore keeping in consideration the above- outlined submissions of the Noticee herein , the matter at hand is sub-judice and the Noticee has fully complied with all the directions as issued to it by the Hon'ble National Green Tribunal. In fact, a time period 0f 6-8 weeks has been granted to it to file its compliance affidavit and therefore no adverse and coercive action ought to be taken against it devoid of directions from the Hon'ble NGT.		

यह कि इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर का अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.05.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई बन्द पायी गयी।

यह कि इकाई के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम मे प्रेषित प्रत्युत्तर संतोषजनक नही पाया गया। इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गयी SOP के अनुसार कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.07.2022 के प्राविधानों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर ई0पी0आर0 हेतु पंजीकरण नहीं कराया गया है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 में निम्न निर्देश जारी किये गये है:–

".....19. The District Magistrate, Bijnor and the Superintendent of Police, Bijnor are directed to ensure that the Respondent No. 5 does not illegally operate the plant in question....."

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए सपठित 21(4) के अन्तर्गत उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के विरूद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं:–

1. यह कि उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के पक्ष में क्षेत्रीय कार्यालय के आनलाइन संदर्भ संख्या–188470/UPPCB/Bijnore(UPPCBRO) /CTO/both/ Bijnore/2023 दिनांक 25.07.2023 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल एवं वायु को खण्डित किया जाता है।

2. यह कि मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
3. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के संचालन से सम्बद्ध समस्त विद्युत कनेक्शनों एवं जलापूर्ति कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त संयुक्त समिति द्वारा पूर्व में किये गये निरीक्षण दिनांक 07.03.2025 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.05.2025 को किये गये निरीक्षण मे पायी गयी कमियों के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध रू–32,832/– प्रतिदिन की दर से माह सितम्बर 2024 से माह जनवरी 2025 तक रू0–50,23,296/–.की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित अधिरोपित की जाती है।

उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू– 50,23,296/- (Fifty Lakh Twenty Three Thousand Tow Hundred Ninty Six only) को 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि 50,23,296/- (Fifty Lakh Twenty Three Thousand Tow Hundred Ninty Six only) का भुगतान Payment Gateway (URL: http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में 15 कार्यदिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। Payment Gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें:–

1–Nature of Pollution /प्रदूषण की प्रकृति–	Air Pollution
2–Regional Offices /क्षेत्रीय कार्यालय–	Bijnore
3–EC imposed in compliance /अनुपालन में ईसी लगाया गया–	UPPCB

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 17-07-2025
18:40:54

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी बिजनौर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिजनौर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।